



विशेषांक	Regd. No. RJ. 2777/93 RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 17, शुक्रवार, 1999—मई 7, 1999 Vaisakha 17, Friday, Saka 1921—Moy 7, 1999	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम ।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 7, 1999

संख्या प. 2 (3) विधि/2/99.— राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मई, 1999 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999

(1999 का अधिनियम संख्या-6)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मई, 1999 को प्राप्त हुई)

राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, लोक निगमों और विश्वविद्यालयों आदि के नियंत्रणाधीन कार्यालयों और स्थापनों में नियुक्तियों को विनियमित करने और अनियमित नियुक्तियों को प्रतिपिद्ध करने और उनसे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 है ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ.—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात

विरुद्ध न हो,-

- (i) "सक्षम प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है और भिन्न-भिन्न जिलों, भिन्न-भिन्न विभागों या भिन्न-भिन्न संस्थाओं के संबंध में भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे ;
- (ii) "दैनिक-मजदूरी-कर्मचारी" से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी लोक सेवा में दैनिक मजदूरी के संदाय के आधार पर नियोजित है और इसमें या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक या मात्रानुपाती दर पर नामीय मस्टररोल या समेकित वेतन के आधार पर या कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति सम्मिलित है और इसमें उन कर्मचारियों को छोड़कर, जो सुसंगत नियमों के अनुसार स्विकृत पद पर नियमित आधार पर चयनित और नियुक्त हैं, किसी भी पद से अभिहित कर्मचारियों का कोई ऐसा ही अन्य प्रवर्ग भी सम्मिलित है;
- (iii) "सरकारी कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) के अधीन निगमित ऐसी कोई भी कम्पनी अभिप्रेत है जिसमें इक्यावन प्रतिशत से अन्यून समादत्त शेयर पूँजी राज्य सरकार द्वारा धारित है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी कम्पनी है जो ऐसी किसी सरकारी कम्पनी की सहायक है;
- (iv) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्रेत है,-
- (क) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित कोई पंचायती राज संस्था;
- (ख) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) के अधीन गठित कोई नगरपालिका; और
- (ग) तत्समय प्रवृत्त किसी भी राजस्थान विधि के अधीन स्थापित या स्थानीय निकायों के रूप में घोषित कोई भी अन्य स्थानीय निकाय, निगम या विश्वविद्यालय आदि;
- (v) "लोक सेवा" से निम्नलिखित के किसी भी कार्यालय या स्थापन में की सेवाएं अभिप्रेत हैं,-
- (क) राज्य सरकार;

- (ख) कोई स्थानीय प्राधिकरण;
- (ग) राज्य सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित सरकारी कम्पनी या उपक्रम;
- (घ) राज्य के विधान-मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय सहित, कोई निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं; और
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी अन्य निकाय या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अपने अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार से या-तो पूर्णतः या भागतः निधियाँ प्राप्त कर रही कोई सोसाइटी, या कोई भी शैक्षिक संस्था, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं किन्तु जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रही हो ।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित राहत कार्यों पर, मस्टररोल पर, काम पर लगाये गये व्यक्ति 'लोक सेवा' में नहीं माने जायेंगे ।

3. लागू होना.- इस अधिनियम के उपबंध समस्त लोक सेवाओं पर लागू होंगे ।

4. दैनिक-मजदूरी-नियुक्तियों का प्रतिषेध और अस्थाई नियुक्तियों का विनियमन.- (1) किसी भी लोक सेवा में, किसी भी वर्ग, प्रवर्ग या ग्रेड में के किसी भी पद पर दैनिक-मजदूरी-कर्मचारी के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति प्रतिषिद्ध होगी ।

(2) किसी भी लोक सेवा में किसी भी वर्ग, प्रवर्ग या ग्रेड में के किसी भी पद पर कोई आवश्यक अस्थाई नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं की जायेगी और ऐसी नियुक्तियाँ ऐसी शर्तों से संगत भी होंगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जायें ।

5. पदों के सृजन का प्रतिषेध.- (1) किसी भी कार्यालय या स्थापन में किसी लोक सेवा से संबंधित कोई पद, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, सृजित नहीं किया जायेगा ।

(2) उप-धारा (1) का अतिक्रमण करके सृजित किये गये किसी भी पद पर की गयी कोई भी नियुक्ति अविधिमान्य होगी और ऐसी नियुक्तियों पर धारा 8, 9 और 15 के

उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

6. वेतन, भत्तों, परिलब्धियों, मानदेय, प्रतिकरात्मक भत्तों आदि के पुनरीक्षण का प्रतिषेध.- इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन उल्लिखित स्थापनों या कार्यालयों के किसी भी कर्मचारी या निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष या किसी भी पदधारी आदि के वेतन भत्तों, परिलब्धियों, मानदेय, प्रतिकरात्मक भत्तों आदि का पुनरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

7. भर्ती का विनियमन.- किसी भी लोक सेवा में किसी भी वर्ग, प्रवर्ग या ग्रेड में के किसी भी पद पर धारा 4 की उप-धारा (2) में यथानिर्दिष्ट को छोड़कर कोई भी भर्ती या नियुक्ति निम्नलिखित के सिवाय नहीं की जायेगी :-

- (क) जहाँ पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र के भीतर आता है वहाँ उसके द्वारा नियुक्ति के लिए चयनित और सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के पेनल में से; या
- (ख) सुसंगत नियमों या इस निमित्त जारी किये गये आदेशों के अनुसार तत्प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति द्वारा तैयार किये गये पेनल में से; या
- (ग) जहाँ खण्ड (क) और (ख) के अनुसरण से अन्यथा भर्ती या नियुक्ति अनुज्ञेय है, वहाँ सुसंगत नियमों और/या आदेशों के अनुसार और अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थियों में से।

स्पष्टीकरण.- शंकाओं के निराकरण के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस धारा में की कोई भी बात, लोक सेवा में नियोजित किसी भी व्यक्ति, जिसकी दैनिक कार्यों में संलग्न रहने के दौरान मृत्यु हो जाये, के पुत्र/पुत्री/पति या पत्नी के पक्ष में, समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत नियमों और/या आदेशों के अनुसार की गयी अनुकंपा नियुक्तियों पर लागू नहीं होगी।

8. बिलों का पारित नहीं किया जाना.- कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी या लेखाधिकारी या अन्य कोई अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे वेतन बिल पारित करने के दायित्व से भारित किया गया हो, लोक सेवा में नियुक्त किसी भी व्यक्ति का ऐसा प्रथम बिल तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि नियुक्ति, धारा 7 या धारा 4 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार की गयी है, संबंधित नियुक्त व्यक्ति के वेतन बिल के साथ संलग्न न कर दिया गया हो।

9. सेवाओं के नियमितकरण का वर्जन.- किसी भी व्यक्ति को, जो दैनिक-मजदूरी-कर्मचारी है और किसी भी व्यक्ति को, जो आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त

किया गया है और इस अधिनियम के प्रारंभ पर उस हैसियत से बना रहता है, किसी भी आधार पर, जो किसी प्रकार का भी हो, सेवाओं के नियमितकरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा या उसके बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि उसे ऐसा करने का अधिकार कभी भी था और ऐसे व्यक्ति की सेवाएं सम्यक् नोटिस के साथ किसी भी समय समाप्त किये जाने के दायित्वाधीन होंगी :

परन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) की धारा 25-च की परिधि में आने वाले कर्मकारों के मामले में, छंटनी द्वारा सेवाओं की समाप्ति की दशा में, ऐसा छंटनी प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जो उक्त अधिनियम के अधीन संदेय हो :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) के अध्याय 5-ख द्वारा शासित कर्मकारों पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.- शंकाओं के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन सेवाओं की समाप्ति को सेवा से पदच्युति या हटाया जाना नहीं समझा जायेगा अपितु यह किसी भी दण्ड की कोटि में नहीं आने वाली छंटनी या सेवा समाप्ति मात्र होगी।

10. निदेश देने की शक्ति.- इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, निदेशक, कोप एवं लेखा, निदेशक, निरीक्षण, निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग, संबंधित मुख्य लेखाधिकारी, वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी आदि या सरकार के विभागाध्यक्ष, या स्थानीय प्राधिकारी अपने अधीनस्थों को ऐसे निदेश जारी करने में सक्षम होंगे जो उचित समझे जायें और अधीनस्थ ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे और जहाँ कोई भी अधीनस्थ कृत्यकारी ऐसे निदेशों के अननुपालन का दोषी हो वहाँ यह समझा जायेगा कि ऐसा कृत्यकारी अवचार का दोषी है और वह, उस पर लागू अनुशासनात्मक नियमों के अधीन कार्यवाही किये जाने का दायी होगा।

11. दावों का उपशमन.- किसी भी सिविल न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्ली या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी समस्त दैनिक-मजदूरी-कर्मचारियों और आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को नियमित नियुक्तियों के दावे उपशमित हो जायेंगे और तदनुसार,-

- (क) सेवाओं के नियमितकरण के लिए, राज्य सरकार या धारा 2 के खण्ड (v) के उप-खण्ड (ख) से (ङ) तक के अधीन विनिर्दिष्ट लोक सेवाओं के किसी भी अन्य नियोजक के विरुद्ध दैनिक-मजदूरी पर या अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किसी भी सिविल न्यायालय, अधिकरण में या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी या

चलायी नहीं जायेगी;

- (ख) कोई भी सिविल न्यायालय ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं के नियमितकरण का निदेश देने वाली किसी भी डिक्री या आदेश का प्रवर्तित नहीं करायेगा; और
- (ग) सेवाओं के नियमितकरण का दावा करने वाले समस्त वाद या अन्य कार्यवाहियाँ, जो किसी भी सिविल न्यायालय या अधिकरण में लंबित हों, उपशमित होंगी।

12. पुनर्विलोकन समिति.- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् राज्य

सरकार,-

- (क) किसी भी लोक सेवा से संबंधित व्यक्तियों को नियोजित करने वाले किसी भी कार्यालय या स्थापन में विद्यमान स्टाफ पैटर्न का, ऐसे कार्यालय या स्थापन के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए; और
- (ख) ऐसे कार्यालय या स्थापन के किसी भी लोक सेवा से संबंधित पद को लागू वेतनमानों, भत्तों, अनुग्रह संदायों, बोनस, पेंशन, उपदान और अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं और परिलब्धियों का, प्रत्येक ऐसे पद की अर्हताओं और कार्य-अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए,

पुनर्विलोकन करने के लिए एक पुनर्विलोकन समिति का गठन कर सकेगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी और सदस्य उतने और उस रैंक के होंगे, जो वह उचित समझे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन करने के पश्चात् पुनर्विलोकन समिति ऐसी कार्रवाई के लिए, जो इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जाये, अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(3) पुनर्विलोकन समिति इस धारा के अधीन कृत्यों का निर्वहण करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी।

(4) पुनर्विलोकन समिति के समस्त आदेश और विनियमन उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा अधिप्रमाणिकृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए शासन सचिव के अंतर्गत कोई प्रमुख शासन सचिव या विशिष्ट शासन सचिव है।

13. पुनर्विलोकन समिति कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियों

का प्रयोग करेगी.- (1) धारा 12 के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति को, इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहण करते समय वे समस्त शक्तियाँ होंगी जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम में

5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय होती है, अर्थात्:-

- (क) किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यक्षा करना; और
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) पुनर्विलोकन समिति को अपने कर्तव्यों के निर्वहण के प्रयोजनार्थ धारा 12 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी कार्यालय या स्थापन का निरीक्षण करने या निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

14. अपराध और दण्ड.- (1) कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, अन्यथा उपबंधित शास्तियों के अतिरिक्त, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम नहीं होगी और जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुमने से, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा फाइल किये गये किसी परिवाद पर के सिवाय, इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

15. शास्तियाँ.- (1) जहाँ किसी निर्वाचन पद का कोई भी धारक या कोई भी अधिकारी या कृत्यकारी या अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई नियुक्ति करता है, वहाँ-

(क) किसी निर्वाचन पद के धारक के मामले में यह समझा जायेगा कि उसने अपने पद या शक्ति का दुरुपयोग किया है और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी उसको हटाने के लिए कार्यवाहियाँ आरम्भ करेगा, और

(ख) किसी अधिकारी या कृत्यकारी या अन्य प्राधिकारी के मामले में यह समझा जायेगा कि वह अवचार का दोषी है और सक्षम प्राधिकारी उस पर लागू अनुशासनात्मक नियमों के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी लोक सेवा में की गयी समस्त नियुक्तियाँ अप्राधिकृत होंगी और ऐसी नियुक्तियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार की या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण की या धारा 2 के खण्ड (v) के उपखण्ड (ग) से (ङ)

तक के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट अन्य निकायों या, यथास्थिति, संस्थाओं की निधियों में से किये गये कोई भी संदाय अप्राधिकृत समझे जायेंगे और वे ऐसे अधिकारी या कृत्यकारी या अन्य नियुक्ति प्राधिकारी से, जो ऐसी नियुक्तियां करे, ऐसी रीति से वसूलीय होंगे जो विहित की जाये, और जहां वसूली विहित रीति से संभव नहीं हो वहां वह भू-राजस्व की वकामा के रूप में वसूलीय होगी।

16. दुष्प्रेरकों के लिए शास्ति.- जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है वह ऐसे अपराध के लिए इस अधिनियम में उपबंधित किये गये दंड से दण्डित किया जायेगा।

17. कंपनियों द्वारा अपराध (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाये तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के जाने के समय कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के संचालन के लिए उत्तरदायी अपराध का कोई समझा जाये और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी भी दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किये जाने को रोकने के लिए पूरी सम्पत्क तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध कोई भी अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित किया जाये कि अपराध कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी भी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां कृत्यकारी तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए,-

(क) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) में यथा-परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई विश्वविद्यालय, कोई फर्म, कोई सोसाइटी या अन्य व्यक्ति-संगम है; और

(ख) "निदेशक" से,-

(i) तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के संबंध में; या

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत, निर्मित, गठित या, यथास्थिति, स्थापित किसी सोसाइटी या अन्य व्यक्ति-

संगम या निकायों के संबंध में, या

(iii) किसी भी अन्य संस्था के संबंध में,

ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे, चाहे किसी भी नाम से पदाभिहित किया जाये, तत्समय प्रवृत्त संबंधित विधि के अधीन या, यथास्थिति, अन्यथा नियुक्तियां करने के लिए सशक्त किया गया है या शक्तियां सौंपी गयी हैं।

18. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी जो इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हों।

19. अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होना.- इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या धारा 2 के खण्ड (v) के उप-खण्ड (ख) से (ङ) तक के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी कम्पनी/उपक्रम, अन्य निकाय या सोसाइटी द्वारा बनाये गये किसी भी नियम, विनियम, उपविधि, स्थायी आदेश या पारित किये गये संकल्प में, या किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

20. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, उस सत्र, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण तद्धीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

एस. के. गर्ग,

शासन सचिव।

Law (Legislative Drafting) Department

NOTIFICATION

Jaipur, May 7, 1999

F.2 (3) Vidhi/2/99.—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to **authorise** the publication in the Rajasthan Gazette of the following **translation** in the English language of the Rajasthan (Lok Sewaon Mein Niyuktion Ka Vinियaman Aur Staff ka Suvya vashtikaran) Act, 1999 (1999 Ka Adhinyam Sankhya 6):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN (REGULATION OF APPOINTMENTS TO PUBLIC SERVICES AND RATIONALISATION OF STAFF) ACT, 1999

(Act No. 6 of 1999)

(Received the assent of the Governor on the 05th day of May, 1999)

An

Act

to regulate appointments and prohibit irregular appointments in offices and establishments under the control of the State Government, local authorities, public corporations and Universities etc. and matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fiftieth Year of **the Republic** of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This **Act** may be called the Rajasthan (Regulation of Appointments to Public Services and Rationalisation of Staff) Act, 1999.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Act, unless there is any thing **repugnant** in the subject or context,—

(i) 'Competent authority' means the officer or authority specified by the State Government by notification to exercise the powers and perform the functions of a

competent authority under this Act and different authorities may be specified for different purposes with respect to different districts, different departments or different institutions;

(ii) 'daily wage employee' means any person who is employed in any public service on the basis of payment of daily wages and includes a person employed, on the basis of nominal muster roll or consolidated pay either on full time or part time or piece rate basis, or as a work-charged employee, and also includes any other similar category of employees, by whatever designation called, other than, those who are selected and appointed on a sanctioned post in accordance with the relevant rules on a regular basis;

(iii) 'Government Company' **means** any company incorporated under **the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956)** in which not less than fifty one percent of the paid up share **capital** is held by the State **Government** and **includes** a company which is subsidiary of such a **Government Company**;

(iv) 'local authority' means,—

(a) a Panchayati Raj institution established under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);

(b) a municipality, constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Act No. 38 of 1959); and

(c) any other local bodies, corporations and Universities etc. established or declared as local bodies under any Rajasthan law for the time being in force;

(v) 'public service' means services in any office or establishment **of**,—

(a) the State Government;

(b) a local authority;

- (c) a Government Company or undertaking wholly owned or controlled by the State Government;
- (d) a body established under any law made by the Legislature of the State whether incorporated or not, including a University; and
- (e) any other body established by the State Government or a society registered under any law relating to the registration of societies for the time being in force and receiving funds from the State Government either fully or partly for its maintenance, or any educational institution whether registered or not but receiving aid from the State Government.

Explanation.— For the purpose of this clause engagement of persons on muster rolls in respect of works for reliefs against natural calamities shall not be deemed to be 'public service'.

3. Application. — The provisions of this Act shall apply to all public services.

4. Prohibition of daily wage appointments and regulation of temporary appointments. — (1) The appointment of any person in any public service to any post, in any class, category or grade as a daily wage employee shall be prohibited.

(2) No urgent temporary appointment shall be made in any public service to any post, in any class, category or grade without the prior permission of the competent authority and such appointments shall also be consistent with such conditions as may be imposed by the competent authority.

5. Prohibition of creation of posts. — (1) No post shall be created in any office or establishment relating to a public service without the previous sanction of the competent authority.

(2) Any appointment made to any post created in violation of sub-section (1) shall be invalid and the provisions of sections 8, 9 and 15 shall *mutatis mutandis* apply to such appointments.

6. Prohibition of revision of pay, allowances, perquisites, honorarium, compensatory allowances etc.—No revision of pay, allowances, perquisites, honorarium, compensatory allowances etc. in respect of any employee or elected or nominated member, chairperson or any office bearer etc. of the establishments or offices mentioned under section 3 of this Act, shall be made without the approval of competent authority.

7. Regulation of recruitment. — No recruitment or appointment other than those referred to in sub-section (2) of section 4, in any public service to any post in any class, category or grade shall be made except, —

- (a) from the panel of candidates selected and recommended for appointment by the Rajasthan Public Service Commission where the post is within the purview of the said Commission; or
- (b) from a panel prepared by a Selection Committee constituted for the purpose in accordance with the relevant rules or orders issued in that behalf; or
- (c) where recruitment or appointment otherwise than in accordance with clauses (a) and (b) is permissible, from the candidates having the requisite qualifications and in accordance with the relevant rules and/or orders.

Explanation.— For the removal of doubt it is hereby declared that nothing in this section shall apply to compassionate appointments made in favour of son/daughter/spouse of any person employed in public service who dies in harness in accordance with the relevant rules and/or orders issued from time to time.

8. Bills not to be passed.—The Treasury Officer/sub Treasury Officer or Accounts Officer or any other officer or authority who is charged with the responsibility of passing the salary bill shall not pass such first bill of any person appointed to public service unless a certificate issued by the Appointing Authority to the effect that the appointment has been made in accordance with the provisions of section 7 or sub-section (2) of section 4 is attached to the salary bill of the appointee concerned

9. Bar to regularisation of services.— No person who is a **daily wage employee** and no person who is appointed on an **urgent** temporary basis and is continuing as such at the commencement of this Act shall have or shall be deemed ever to have a right to claim for regularisation of services on any ground whatsoever and the services of such person shall be liable to be **terminated** at any time with due notice:

Provided that in the case of workmen falling within the scope of section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. 14 of 1947), retrenchment compensation as may be payable under the said Act shall be paid in case of termination of services by way of retrenchment:

Provided further that nothing in this section shall apply to the workmen governed by Chapter V-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. 14 of 1947).

Explanation.—For the removal of doubts it is hereby declared that the termination of services under this section shall not be deemed to be dismissal or removal from service but shall only amount to retrenchment or termination simpliciter, not amounting to any punishment.

10. Power to give directions.— For the purpose of enforcing the provisions of this Act, it shall be competent for the State Government, the Director of Treasuries and Accounts, the Director of Inspection, the Director of Local Fund Audit Department, the concerned Chief Account Officer, Financial Advisor / Senior Accounts Officer etc. or Head of the Department of the government, or local authority to issue such directions as may be deemed fit to their subordinates and the subordinates shall comply with such directions and where any subordinate functionary is guilty of non-compliance with such directions, it shall be deemed that such functionary is guilty of misconduct and shall be liable to be proceeded against under the disciplinary rules applicable to him.

11. Abatement of claims.— Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any civil court, tribunal or other authority, the claims for regular appointment of

all daily wage employees and persons appointed on an urgent temporary basis, shall stand abated and accordingly,—

- (a) no suit or other proceeding shall be instituted or maintained in any civil court, tribunal or other authority by the daily wage or temporary appointees against the State Government or any other employer of public services specified under sub-clause (b) to (e) of clause (v) of section 2 for the regularisation of the services;
- (b) no civil court shall enforce any decree or order directing the regularisation of the services of such persons; and'
- (c) all suits or other proceedings pending in any civil court or tribunal claiming the regularisation of services shall abate.

12. Review Committees.— (1) After the date of commencement of this Act, the State Government may constitute a Review committee with an officer not below the rank of a Secretary to the Government as the Chairperson and such number of members of such rank as it may deem fit to review,—

- (a) the existing staff pattern in any office or establishment employing persons belonging to any public service keeping in view the workload of such office or establishment; and
- (b) the pay scales, allowances, *ex gratia* payments, bonus, pension, gratuity and other terminal benefits and perquisites applicable to the post belonging to any public service of such office or establishment keeping in view the qualifications and job requirements of each such post.

(2) After undertaking review under sub-section (1), the Review Committee shall submit a report alongwith its recommendations to the State government for such action as may be prescribed by rules made in this behalf.

(3) The Review Committee shall regulate its own procedure for discharging the functions under this section.

(4) All orders and decisions of the review Committees shall be authenticated by the chairperson or a member authorised by him in this behalf.

Explanation.— For the purpose of this section, Secretary to the government includes a Principal Secretary or Special Secretary to the government.

13. Review committee to exercise the powers of a civil court in certain matters.— (1) The Review committee constituted under section 12 shall, while discharging the duties under this Act, have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. V of 1908) in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office; and
- (e) issuing Commissions for the examination of witnesses or documents.

(2) For the purpose of discharging its duties, the Review committee shall have the right to inspect or cause to be inspected any office or establishment referred to in sub-section (1) of section 12.

14. Offences and punishments.—(1) Any person or authority who contravenes the provisions of this Act shall, apart from the penalties otherwise provided for, on conviction by a competent court having jurisdiction be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months and which may extend upto two years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend upto ten thousand rupees.

(2) No court shall take cognizance of offence punishable under this section except on a complaint filed by a competent authority with the previous sanction of the State Government.

15. Penalties.—(1) Where any holder of an elective office or any officer or functionary or other authority makes any appointment in contravention of the provisions of this Act,—

- (a) in the case of the holder of an elective office, it shall be deemed that he has abused his position or power and accordingly, the competent authority, shall initiate proceedings for his removal, and
- (b) in the case of an officer or functionary or other authority, it shall be deemed that he is guilty of misconduct and the competent authority shall initiate action under the disciplinary rules applicable to him.

(2) All appointments made in public service in contravention of the provisions of this Act shall be unauthorised and any payments made as a consequence of such appointments out of the funds of the State Government or of the concerned local authority or of other bodies or institutions as specified under sub-clauses (c) to (e) of clause (v) of section 2, as the case may be, shall be deemed to be unauthorised, and the same shall be recoverable in the manner as may be prescribed, from the officer or functionary or other appointing authority who makes such appointments, and where the recovery is not possible in the prescribed manner, the same shall be recoverable as arrears of land revenue.

16. Penalty for abettors.— Whoever abets any offence punishable under this Act shall be punished with the punishment provided for in this Act for such offence.

17. Offences by companies.—(1) Where an offence punishable under the provisions of this Act is committed by a company, every person, who at the time of committing the offence was in charge of, and was responsible to the company for the conduct shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had

exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence against the provisions of this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any **Director**, Manager, Secretary or other officer of the company, such functionary shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation. — For the purpose of this section, —

- (a) "Company" means a company as defined in the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) and includes a University, a firm, a society or other association of individuals; and
- (b) "Director" means, —
- (i) in relation to a University established by law for the time being in force; or
- (ii) in relation to a society or other association of individuals or bodies, registered, formed, constituted or established, as the case may be, under any law for the time being in force; or
- (iii) in relation to any other institution;

the person who, by whatever name designated, is empowered or entrusted with the powers to make appointments under the concerning law for the time being in force or otherwise, as the case may be.

18. **Protection of action taken in good faith.**— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in **good** faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

19. A d to of this Act shall have **effect** notwithstanding anything contained in any other law for the time being in **force** or in any rule, regulation, bye law, standing order made or resolution passed by any local authority, Government **Company/Undertaking**, other body or

society specified under sub-clauses (b) to (e) of clause (v) of section 2, or in **any judgement**, decree or order of any court, tribunal or other **authority**.

20. Power to make rules.— (1) The State Government may, by notification in the **Official Gazette**, make rules for carrying out all or any of the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act, shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State **Legislature**, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in **two** successive sessions and if before the expiry of **the session** in which they are so laid or in the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such **rules** should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified **form** or be of no effect, as the case may be, however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything **perviously** done thereunder.

एस. के. गर्ग,

Secretary to the government.

Government Central Press, Jaipur.